न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 257 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 402

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
निम्बूसिंह पुत्र वगतावरसिंह जाति पुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

:–आदेशः–

दिनांक 28/07/2025

संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खाता नम्बर 104,105,137 व 633 भूमि में प्रार्थी का नाम निंबसिंह पुत्र वगता के स्थान पर सही नाम निम्बूसिंह पुत्र वगतावरसिंह दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जांच करवाते हुए रिपोर्ट सहित प्रकरण न्यायालय हाजा को पेश किया गया।

प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने प्रार्थी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी के सगे भाई रामेश्वरसिंह पुत्र वगतावरसिंह द्वारा शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का रिकॉर्ड मे अशुद्व नाम निंबसिंह के स्थान पर निम्बूसिंह किए जाने पर सहमति दी गई तथा विवादित आराजी के हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक कनाना द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम शुद्व किए जाने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा प्रार्थी का अवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कनाना तहसील पचपदरा की खाता नम्बर 104,105,137 व 633 भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि निंबसिंह पुत्र वगता के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि निम्बूसिंह पुत्र वगतावरसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

28/07/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.7.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/07/25

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) ...तरा